न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकार श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व लोक अदालत कैम्प –नगर परिषद बालोतरा

मुकदमा नंबर 661/2016

सरकार बनाम 1. चैनभारती गोदपुत्र पहाड भारती, भमरभारती वल्द कानभारती वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1979.

आदेश दिनांकः– 15.06.2018

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प नगर परिषद बालोतरा मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपंठित नियम 1970 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम **रावली ढाणी व सुरपुरा** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर. उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग **रावली ढाणी** के **खसरा न** 669 रकबा 1.12 व **सुरपुरा** के खसरा नंबर 849/255, 851/255, 846/256, 784/256, 747/256,790/746, 683/257, 684/257, 686/258,687/258, 805/267, 804/207, 262, 692/263 रकबा कमशः 0.10,0.05,0.10,0.04,0.04,0.08,0.14,0.04,0.18,0.16,0.06,0.06,0.19, 0.10 बीघा मे चल रहा है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...बालोतरा...

Scanned by CamScanner

अतः ग्राम **रावली ढाणी** के **खसरा न** 669 रकबा 1.12 **व सुरपुरा** के खसरा नंबर 849/255, 851/255, 846/256, 784/256, 747/256,790/746, 683/257, 684/257, 686/258,687/258, 805/267, 804/207, 262, 692/263 रकबा क्रमशः 0.10,0.05,0.10,0.04,0.04,0.08,0.14,0.04,0.18,0.16,0.06,0.06,0.19,0.10बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया,तदोपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत कैम्प ढाणी सांखला के कैम्प में ग्रार्मीणों द्वारा रास्ता आंशिक रूप से चलना बताया जिस पर भू.अभिलेख निरीक्षक कल्याणपुर व पटवारी हल्का ढाणी सांखला से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें भू.अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने मौके पर रावली ढाणी के खेत खसरा न0 669 रकबा 1.12 व ग्राम सुरपुरा के खेत खसरा न0 692/263, 262, 804/267, 805/267, 687/258, 686/258, 684/257, 683/257 रकबा क्रमश 0.10, 0.19, 0.06, 0.06, 0.16, 0.18, 0.04, 0.14 बीघा भूमि में रास्ता चल रहा है। एवं जमाबन्दी के परिशिष्ट 'अ' के क्रमशः 1 से 5 मे रास्ता मौके पर नहीं चलता है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर **रावली ढाणी** के खसरा न0 669 रकबा 1.12 व ग्राम सुरपुरा के खेत खसरा न0 692/263, 262, 804/267, 805/267, 687/258, 686/258, 684/257, 683/257 रकबा क्रमश 0.10, 0.19, 0.06, 0.06, 0.16, 0.18, 0.04, 0.14 बीघा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है एवं परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु 'ए' से 'बी' तक उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत ,खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। बिन्दु 'बी' से 'सी' तक प्रस्तावित रास्ते को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 15.06.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...बालोतरा

Scanned by CamScanner